राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1663/2024

प्रहलाद कुमार मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर, जिला सवाई माधोपुर।
3. जिला कलेक्टर, गंगापुर सिटी, जिला गंगापुर सिटी।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 26.04.2024

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री तनवीर अहमद, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी को दिनांक 01.04.2019 (अनुलग्नक–1) के आदेश से निलम्बित किया गया। उसके पश्चात अपीलार्थी को आदेश दिनांक 20.06.2023 (अनुलग्नक–2) के द्वारा निलम्बन से बहाल किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी को वर्ष 2019 से वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि राजस्थान सेवा नियम के नियम 29 के तहत अपीलार्थी को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाना चाहिए। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 19342/2023 केदार प्रसाद पोसवाल बनाम राजस्थान राज्य प्रस्तुत किया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने समान मामले में प्रत्यर्थी विभाग को याची के अभ्यावेदन को अतिशीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिये हैं। अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुसार इस प्रकरण में भी अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहा है एवं अधिकरण के समक्ष यह प्रार्थना की है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निश्चित समय सीमा में निस्तारित किया जाए।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में एवं माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में आगामी 6 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)